लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 28 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 18.03.2021
GCMS NO.:- 2021/108

श्री उदयलाल पिता स्व. रामाजी रेगर निवासी नवोदय विद्यालय के सामने वाली गली, मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 06.04.2021

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.01.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 28 / 2021 / (06.04) / 265 दिनांक 18.03.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 06.04.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 06.04.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि उसके द्वारा बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्रतिलिपि शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर ली गई है तथा बिन्दु संख्या 3 की नकलें प्राप्त नहीं हुई है। मेरे द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2020 को श्रीमान रजिस्ट्रार साहब राजस्व मण्डल अजमेर को एवं जिला कलक्टर को प्रेषित किया गया था जिसकी प्रति संलग्न है उप निबन्धक राजस्व मण्डल के पत्रांक राम / भू.अ. / ई.1 / प.51 / 2020 / 7650 दिनांक

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

17.09.2020 से जो पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ उसकी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक / भू.अभि. / प्रकीर्ण / 1 / 18(47) 2020 / 531 दिनांक 13.10.2020 से उप निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की गई उसमें मेरे शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2020 का उल्लेख नहीं है मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 23.07.2020 एवं 14.08.2020 के तथ्य अलग–अलग हैं। अतः संलग्न प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की जांच रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2021 / 99 दिनांक 26.03.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह है कि प्रार्थी श्री उदयलाल पिता स्व. रामाजी रेगर निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2021 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय को दिनांक 08.02.2021 को प्राप्त होना सही है जिसमें प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना "उदयलाल रेगर C/O श्री खेमराज रेगर पोस्ट कानोड़, रेगर मौहल्ला, जिला उदयपुर" पर प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग के पत्रांक / भू–अभि / प्रकीर्ण / आर.टी.आई. / 2017 / 121 दिनांक 02.03.2021 से कुल किता 36 के प्राप्त की गई, जिसका प्रतिलिपि शुल्क 72 रूपये इस कार्यालय में जमा करवा कर सूचना प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2021 / 2735 दिनांक 05.03.2021 एवं 22.03.2021 से उक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक से पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु आदिनांक शुल्क जमा नहीं कराया गया है एवं सूचना प्राप्त नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा वांछित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने पर सूचना विधिवत् उपलब्ध करा दी जायेगी। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 से वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के पत्रांक / सू.का.अधि. / 2021 / 254 दिनांक 17.03.2021 से कुल किता 17 के प्राप्त सूचना इस कार्यालय के

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2021 / 2735 दिनांक 22.03.2021 से प्रार्थी को रजिस्टर्ड ड़ाक द्वारा उक्त पते पर निः शुल्क भिजवाई गई है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)

4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से आदिनांक अप्राप्त है, जो कि प्राप्त होने पर प्रार्थी को यथासमय उपलब्ध करा दी जायेगी। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2021 / 99 दिनांक 26.03.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी ने बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्रतिलिपि शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर ली है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना निः शुल्क जरिये ड़ाक से अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है।

अपीलार्थी ने बिन्दु संख्या 1 में उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में यह समस्या उठाई है कि उसके शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.20 से संबंधित सूचना ही प्राप्त हुई है जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.20 से संबंधित जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 12.01.2021 के बिन्दु संख्या 01 में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक / राम / भू.अ. / ई–1 / प.51 / 2020 / 7650 दिनांक 17.09.2020 के संबंध में प्रेषित जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति चाही है जो कि पत्रांक / भू.अभि / प्रकीर्ण / 1 / 18(47)2020 / 531 दिनांक 13.10.2020 से उप निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक / प.3(22)प्रसु / सू.अ.प्र. / 06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 28 / 2021 (सू.अ.)
श्री उदयलाल रेगर निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मात्र रेकार्ड में उपलब्ध सूचनाऐं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। प्रेषित जांच रिपोर्ट में यदि समस्त तथ्यों का समावेश नहीं है तो अपीलार्थी इस हेतु अलग से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उसे उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को अब तक बिन्दु संख्या 03 में वांछित सूचना / प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं कराई गई है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 03 में वांछित सूचना / प्रमाणित प्रतिलिपियां निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 28 / 2021(सू.अ.) / 311 दिनांकः– 07 / 04 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री उदयलाल C/O श्री खेमराज रेगर पोस्ट मुकाम कानोड़, रेगर मौहल्ला, जिला उदयपुर–313604

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)